एफ.सं. 12(4)2016/विविध/आरसीडी/एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
(विनियामक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 09 मार्च, 2020

खाद्य सुरक्षा आयुक्त
सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
सभी केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण और
सभी प्राधिकृत अधिकारी (खाद्य आयात के लिए)

विषय: खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चयन - उभरती हुई चुनौतियाँ

महोदय/महोदया,

नकली खाद्य पदार्थ एक गंभीर चुनौती है। जबकि नकल का कार्य करना आईपी कानूनों का उल्लंघन है, जोकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन चूंकि नकली खाद्य पदार्थों के घटिया और कभी-कभी असुरक्षित होने की संभावना होती है, इसलिए राज्य के खाद्य सुरक्षा प्रशासन को इस संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाल ही में, एक राष्ट्रीय पत्रिका में नकली खाद्य सामग्री पर एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसकी एक प्रति आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

2. इसके अलावा, भारत में खाद्य पदार्थों की नकल से संबंधित विभिन्न मुद्दों और पहलुओं के बारे में संवेदनशील बनाने और विचार-विमर्श करने के लिए, एफ.आई.सी.सी.आई. - सीएएससीएडीई के साथ साझेदारी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई. की अध्यक्षता में 13 नवंबर, 2019 को खाद्य उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई थी।

3. इस संदर्भ में, और उद्योग के विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित विचार-विमर्श के आधार पर, आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर निम्नलिखित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है-

i- अधिकतम खुदरा मूल्य से काफी कम मूल्य पर बिकने वाले और नकली होने की संभावना वाले खाद्य उत्पादों, के संबंध में नियमित रुप से बाजार की निगरानी करें। इस संबंध में, स्थानीय पुलिस या जालसाजी से संबंधित अन्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्रवाई करें। स्रोत बिंदुओं और उनके बंद होने की प्रभावी जांच और स्रोत बिंदुओं तथा उनके कार्यों में सहयोगियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और अन्य अभिकरणों को संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है।

ii- खाद्य पदार्थों की पहचान करने, जहां नकली खाद्य पदार्थों का बहुतायत रुप से लेन-देन होता है और नकली खाद्य पदार्थों की प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए स्थानीय आसूचना विकसित करने की आवश्यकता है। प्रमुख ब्रांड कंपनियों की

सूचना और उनके साथ समन्वय से इस प्रकार की जानकारी हांसिल करने में मदद मिलेगी कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा सकती है।

iii- कथित तौर पर, कई आयातित / विदेशी खाद्य सामग्री बाजार में उपलब्ध हैं जो एफएसएसएआई बिना एफ.एस.एस.ए.आई. की मंजूरी के धड़ल्ले से कड़ाई आयात की जाती हैं। ये खाद्य पदार्थ नकली हो भी सकते हैं और नहीं भी। चूँकि, एफ.एस.एस.ए.आई. से कोई मंजूरी नहीं ली गई है, इसलिए, इस प्रकार के आयात का कोई मतलब नहीं है। हालांकि, जहां इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए आयात तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, वहीं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्रतिष्ठित मॉल और फूड रिटेल आउटलेट्स पर इस प्रकार के पदार्थों की आसानी से उपलब्ध होने पर उपभोक्ता इन वस्तुओं की शुद्धता पर भरोसा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस के बिना आयातित / विदेशी खाद्य पदार्थों की हो रही बिक्री की पहचान के लिए नियमित रुप से सर्वेक्षण करें।

iv- ई-कॉमर्स प्लेयरों अपने प्लेटफॉर्म पर नकली खाद्य सामग्री और अवैध रूप से आयातित सामान की बिक्री को रोकने के लिए जगह मशीनरी को सक्रिय बनाए रखने के लिए उसे संवेदनशील बनाने की जरुरत है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म पर खाद्य सामग्री के विक्रेता एफ.एस.एस.ए.आई के पंजीकृत / लाइसेंसधारी होने चाहिए। इसके अलावा, ऐसे पैकेज्ड फूड को ही बिक्री के लिए अनुमति दी जानी चाहिए जिस पर एफएसएसएआई का पंजीकरण / लाइसेंस दिया गया हो।

v- उपरोक्त के अलावा, खाद्य सुरक्षा की सभी गतिविधियों के लिए मानव शक्ति की अपेक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस बात की जरुरत है कि राज्य खाद्य सुरक्षा प्रशासन के लिए डीओ और एफएसओ के पदों की संख्या की स्पष्ट रूप से पहचान करें और पद बनाने और उन्हें भरने के लिए के उपाय करें।

vi- इसी तरह प्रयोगशाला में तकनीकी पदों को प्रयोगशालाओं के उन्नयन के अलावा भरा जाना चाहिए।

vii- इस संबंध में की गई कार्रवाई और उसके परिणामों से एफएसएसएआई को भी नियमित रुप अवगत कराते

भवदीय,

(डा. शोभित जैन)

संलग्नक : यथोपरि

(कार्यकारी निदेशक (सीएस)